भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4166

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

नए राशन कार्ड जारी करने में विलंब

4166. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर सोलापुर के निवासियों को नए राशन कार्ड प्राप्त करने, परिवार के और सदस्यों को शामिल करने अथवा नाम परिवर्तन करने में होने वाले विलंब की जानकारी है और यदि हां, तो इन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा अनियमित राशन वितरण की समस्या से निपटने और लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा लोक सेवा कार्यकुशलता में सुधार लाने के संबंध में सेतु कार्यालय से दस्तावेजों को शीघ्र जारी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है। केंद्र सरकार खाद्यान्नों की खरीद, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के नामित डिपो तक इनके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण, उचित दर दुकान के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, एफपीएस के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं। साझा जिम्मेदारी का यह सिद्धांत एनएफएसए की धारा 23, 24 और 25 में स्पष्ट रूप से निहित है, जो सरकार के दोनों स्तरों की संबंधित भूमिकाओं और सहयोगात्मक कर्तव्यों को रेखांकित करता है।

2/-

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुष्टि की है कि उत्तरी सोलापुर तहसील ने एनएफएसए के अनुसार अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार अपात्र लाभार्थियों की छंटनी के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे अधिक पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्थान सुनिश्चित किया जा सके। यह रेखांकित करना उचित है कि एनएफएसए, 2013 की धारा 10 के अनुसार, पात्र लाभार्थियों की सूची की पहचान और नियमित अद्यतन करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार की है।

राज्य सरकार को पहले अपने ऑनलाइन पोर्टल www.rcms.mahafood.gov.in से संबंधित कुछ तकनीकी चुनौतियों और आधार सर्वर के साथ सिंक्रोनाइज़ेशन से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिन्हें अब सुलझा लिया गया है।

समय पर डिलीवरी और प्रमाणीकृत वितरण सुनिश्चित करने के लिए ईपीओएस-आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करके लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। दिनांक 25 जनवरी और 25 फरवरी माह के लिए ईपीओएस मशीनों का उपयोग करके खाद्यान्न वितरण क्रमशः 94% और 95% है। राज्य सरकार ने आरसीएमएस और एमएएचए ईपीओएस जैसे उपकरणों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता बढ़ाने पर विशेष बल दिया है, जिसने नागरिकों के हित के लिए रिकॉर्ड को समय पर अपडेट करने और त्रुटि-मुक्त संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

*****